न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 25/19 **सन् 2019**

आरसीएमएस संख्या 2019/00119

बउनवानी :–मुंशी पुत्र कमाल जाति बंजारा आयु 58 वर्ष, निवासी हसनपुरा(शिवाड) तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. कुलदीप पुत्र डूँगरमल कोली, आयु 35 वर्ष, निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
2. तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे जैरकार प्रकरण सख्या 6/16 अन्तर्गत धारा 183 बी, उनवानी कुलदीप बनाम मुंशी अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट)

उपस्थितः 1. श्री हंसराज यादव वकील प्रार्थीगण

2. श्री सुधीर कुमार जैन वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– **दिनांक 9.12.2019**

वकील प्रार्थी ने न्याय़ालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2016 अन्तर्गत धारा 183बी कुलदीप सिंह बनाम मुंशी के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी. ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अप्रार्थी कुलदीप ने एक प्रार्थना पत्र संख्या 6/16 बउनवानी कुलदीप बनाम मुंशी अन्तर्गत धारा 183 बी न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा मे पेश किया हुआ है जिसमे आगामी पेशी 25.10.2019 को वास्ते साक्ष्य नियत है। उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 9.8.2019 को जवाब पेश किया जा चुका है एवं दिनांक 18.10.2019 को वास्ते साक्ष्य नियत थी। अप्रार्थी संख्या 1 का रिश्तेदार श्री नरेन्द्र वर्मा, अप्रार्थी संख्या 2 के अधीनस्थ रीडर के पद पर कार्यरत है एवं प्रकरण की कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में मिली भगत कर प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 से न्याय की उम्मीद नही है। यह तर्क भी दिया कि वादग्रस्त कृषि भूमि नवीन ख0न0 571 रकबा 1.26 है0 भूमि का एक वाद पत्र संख्या 48/11 बउनवानी नानगराम बनाम डूँगरमल निर्णय दिनांक 10.10.2014 के विरूद्व माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय भतरपुर मे विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.10.2019 नियत है। किन्तु विपक्षी संख्या 2 विपक्षी संख्या 1 व उसके रिश्तेदार नरेन्द्र वर्मा(रीडर) न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा के प्रभाव मे आकर बेदखल करने का प्रयास कर रहे है जबकि प्रार्थी उक्त भूमि को केवल नानगराम, फतेहलाल पुत्र मांगीलाल कोली वगै. की सहमति से साझे बांटे पर काश्त कर रहा है परन्तु उक्त तथ्यों को बिना सुने ही निर्णय पारित करने पर अमादा है जिससे प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नही है। इसलिए तहसीलदार चौथ का बरवाडा मे विचाराधीन उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। क्योकि उक्त प्रकरण को मुन्तकिल करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा मुख्य आधार पीठासीन अधिकारी के रीडर श्री नरेन्द्र वर्मा द्वारा निर्णय को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी वकील यह भूल रहे है कि किसी भी प्रकरण का निर्णय पीठसीन अधिकारी द्वारा साक्ष्य सबूतो के आधार पर किया जाता है किसी कहने के आधार पर निर्णय नही किया जाता है। यह तर्क

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 का रीडर नरेन्द्र वर्मा से कोई रिश्तेदारी नही है ओर ना ही किसी प्रकार की जानकारी है। रीडर के पद पर कार्यरत कर्मचारी किसी प्रकार मिली भगत कर कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है स्पष्ट नही किया है। पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप नही लगाया गया है न्याय सस्ता एवं सुलभ मिलना चाहिये इस हेतु धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट मे बेदखली का प्रावधान दिया हुआ है परन्तु उक्त प्रकरण को अन्य तहसीलदार के न्यायालय में अन्तरित किये जाने से न्याय मंहगा होगा ओर तारीख पेशी पर आने जाने मे समय एवं धन की बर्बादी होगी। चूंकि प्रकरण 183 बी राज.टीनेन्सी एक्ट का है जो समरी ट्रायल का है तथा 2016 से लंबित है यदि उक्त प्रकरण को मुन्तकिल किया जाता है तो न्याय से इन्कारी होगी एवं प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्यक देरी होगी। यह तर्क भी दिया कि नानगराम बनाम डूँगरमल के नाम से कोई दावा निर्णित नही हुआ है यह 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र था जिसका निर्णय दिनांक 10.10.2014 को हुआ है जिसका इस प्रकरण से जोडना कतई गलत है। यह तर्क भी दिया कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर रीडर कैसे प्रभाव डाल सकता है जबकि निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनो पक्षों को सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार प्रकरण के निस्तारण मे दैरीना करने की गरज से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य होने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुनतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया।

तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी के रीडर पर लगाये गये आरोप गलत एवं निराधार है क्योकि उक्त प्रकरण में नियमानुसार समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर दोनो पक्षो को दिया जा रहा है तथा पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रकरण मे तारीख पेशी एवं सुनवायी का आदेश आर्डर शीट पर दिया जाता है। अब तक रीडर नरेन्द्र वर्मा द्वारा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पीठासीन अधिकारी के रीडर नरेन्द्र वर्मा पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय मे निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है तो फिर रीडर द्वारा प्रकरण को किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी के अनुसार प्रकरणों मे तारीख पेशी एवं सुनवायी के अवसर हेतु आडर शीट पर आदेश दिये जाते है। वकील अप्रार्थी के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण 2016 से विचाराधीन है जिसके निस्तारण में ओर अधिक देरी करने के लिए प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र झूंठे एवं निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की आवश्यकता नही है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.12..2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.30 16:27:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: